567/V-2-आ0/2025

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग–2
ई फाइल संख्या–E 75892
देहरादून : दिनांकः 11 सितम्बर 2025

अधिसूचना

आवास विभाग के नियंत्रणाधीन सभी प्राधिकरण में ईज एप (eASE App) के माध्यम से विकसित की गई सेवाओं के क्रियान्वयन के संबंध में शासनादेश संख्याः I/55467/2022 दिनांकः 08.08.2022 के माध्यम से दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। प्राधिकरणों द्वारा आमजन को उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न सेवाओं को तीव्रता के साथ सम्प्रेषित किये जाने तथा राज्य सरकार के e-Governance के कार्यों हेतु निर्धारित "Paperless, Faceless, Cashless" के उद्देश्य से उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण द्वारा eASE App विकसित किया गया है। राज्य सरकार के e-Governance के कार्यों हेतु निर्धारित "Paperless, Faceless, Cashless" प्रक्रिया को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संचालित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. eASE App के माध्यम से विकसित समस्त सेवाओं का अनिवार्य रुप से क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्राधिकरण के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां भी किसी भी दशा में Offline अंकित नहीं की जायेंगी।
3. आवास विभाग के अन्तर्गत समस्त विभागों/प्राधिकरणों में पेपरलेस कार्य–प्रणाली को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा कोई भी अभिलेख/आवेदन Offline माध्यम से जमा नहीं किये जायेंगे।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(आर.मीनाक्षी सुन्दरम्)
प्रमुख सचिव।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/मा0 आवास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन
2. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4. मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
8. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि

उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के राजकीय परिशिष्ट की 100 प्रतियां मुद्रित कराते हुए प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

9. गार्ड फाइल।

(नरेन्द्र सिंह रावत)
अनु सचिव